आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांक : 20 MAR 2023

अधिसूचना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 17.03.2023 को की गई बजट घोषणा के बिन्दु सं. 28 की पालना में राजस्थान, भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क की उपधारा (4) एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 के उपनियम (1) एवं नियम 16 के उपनियम (4) के अन्तर्गत राज्य सरकार 30 सितम्बर 2023 तक की अवधि में निम्न प्रकरणों में प्रीमियम दरें प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान निम्नानुसार निर्धारित करती है:–

क्र. सं.	विवरण	प्रयोजन	क्षेत्रफल	प्रीमियम दरें	10 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि
1	नगरीय निकाय की नगर पालिका सीमा में दिनांक 02.05.12 से पूर्व कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होकर आबादी से लगते हुए बिखरे हुए निर्मित भूखण्ड	आवासीय	300 वर्गमीटर तक	501/– रूपये एकमुश्त	501/– रूपये एकमुश्त
2	नगरीय निकाय के परिधि नियंत्रण क्षेत्र में ग्राम की आबादी की 500 मीटर परिधि में दिनांक 31.12.2013 से पूर्व निर्मित भूखण्ड	आवासीय	300 वर्गमीटर तक	5/– रूपये प्रति वर्गमीटर	5/– रूपये प्रति व.मी. प्रीमियम राशि पर नियमानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

CamScanner

महोत
हैः-

आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
11. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
12. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
13. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
14. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
15. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
16. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

CamScanner